

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(14)वित्त/आब/2020

जयपुर, दिनांक: 16/04/2026

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा के वर्ष 2026-27 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 13.04.2026 में क्रम संख्या 6 पर अंकित श्री सहदेव सिंह रत्नू पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह रत्नू की जन्म तिथि दिनांक 01.07.1963 के स्थान पर दिनांक 01.07.1966 पढ़ी जावे।

आज्ञा से,

  
(वरुण मिश्रा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक प01(ओ)(02) संस्था/ आब/2023/EF-02084/170 दिनांक 11.02.2026 एवं प01(ओ)(02) संस्था/आब/ 2023/EF-02084/268 दिनांक 13.03.2026 के संदर्भ में।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक(कम्प्यूटर सेल), वित्त विभाग।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निजी पत्रावली संबंधित अधिकारीगण।
7. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005

Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:

www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcise@rajasthan.gov.in